न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

छोटानागपुर का तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क)/(ख)के अंतर्गत

परमिशन वाद सं0 33 वर्ष 2024

आवेदक–मारूति चन्द्र प्रमाणिक वगै0
ग्राम–जामकुदर
थाना– कसमार जिला–बोकारो

केता–शीतल देवी
ग्राम– जामकुदर
थाना–कसमार जिला–बोकारो

आदेश की क0सं0 तारीख 01	आदेश एंव पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 03
06/12/24		

आदेश

यह वाद आवेदक–01.मारूति चन्द्र प्रमाणिक, 02.सागर प्रमाणिक, 03.दिवाकर प्रमाणिक सभी के पिता–स्व0 डोमन चन्द्र प्रमाणिक, ग्राम– जामकुदर, थाना– कसमार ,जिला–बोकारो के द्वारा छोटानागपुर का तकारी अधिनियम की धारा 46(1)/(ख) के अंतर्गत निम्नाकिंत जमीन, विवरणी निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिकी रकबा	भूमि दर्जा
बगियारी	100	163	1026	0.15 एं0	3.75 डी0	खेत

को वो आवश्यक कार्य हेतु मो 3,95,000/–(तीन लाख पनचान्बे हजार) रूपये में केता–शीतल देवी पति–श्री हेंमन्त चन्द्र प्रमाणिक ग्राम–जामकुदर, थाना–कसमार ,जिला–बोकारो के साथ बिकी करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर कश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(ख) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यलय के पत्रांक 85/रा0, दिनांक 08.02.2024 के माध्यम से अंचल अधिकारी कसमार से जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिकी अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी कसमार के पत्रांक–438, दिनांक–10.07.2024 से वांछित जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमे उनके द्वारा उल्लेख किया गया हैं कि:–

01. बिकेता एंव केता दोनों हजाम जाति के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग जाति श्रेणी के अतंर्गत आते हैं। बिकेता एंव केता दोनों एक ही थाना एंव जिला–बोकारो के निवासी हैं।
02. बिकी की जाने वाली भूमि का सर्वे खतियान में चांद पोदार के नाम से दर्ज हैं तथा पंजी–II में जमाबन्दी विक्रेता के पिता के नाम से पृष्ठ सं0–190, एंव भौलुम सं0– II में जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वर्ष–2022–23 तक निर्गत हैं। जमाबंदी कायम होने का आधार केवाला हैं।
03. खतियानधारी रैयत से बिकेता का संबंध पिता का है। बिकी की जाने वाली भूमि बिकेता के हक व हिस्से के अतंर्गत आता है एंव बिकेता का दखल कब्जा में हैं।
04. प्रस्तावित भूमि भू–हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, गैरमजरूआ तथ अधिग्रहित क्षेत्र से बाहर हैं।

उनके द्वारा बिकेता को प्रस्तावित भूमि की बिकी करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया हैं।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिकेता द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया हैं कि आवेदनाकिंत जमीन सर्वे खतियान में चांद पोदार के नाम से दर्ज हैं तथा पंजी–II में जमाबन्दी विक्रेता के पिता के नाम से पृष्ठ सं0–190, एंव भौलुम सं0– II में जमाबंदी कायम हैं एंव लगान रसीद वर्ष–2022–23 तक निर्गत हैं। बिकी वाली जमीन उसके हक हिस्से की हैं जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

केता का कहना है कि उन्होने प्रस्तावित जमीन को देखा है। उक्त जमीन पर कोई विवाद नहीं हैं, तथा वर्तमान में आवेदक के शांति पूर्ण दखल कब्जे में हैं।

उभय पक्ष अपने पक्ष निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करतें हैं:–

01. बिक्रेता– केवाला की छायाप्रति हैं, लगान रसीद का छायाप्रति, आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

02. क्रेता– आवासीय प्रमाण की छायाप्रति, जाति प्रमाण की छायाप्रति एंव स्वंय के नाम आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनो पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एंव अंचल अधिकारी कसमार से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एंव क्रेता दोनों हजाम के सदस्य हैं जो पिछड़ा वर्ग के अतंर्गत आते हैं। बिक्रेता एंव क्रेता दोनों एंक ही थाना एंव जिला–बोकारो निवासी हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के हिस्से की जमीन है, जो क्रेवाला के आधार पर हासिल हैं जिसे वे आश्यकता वश बेचना चाहते हैं।

अतः आवेदक–01.मारूति चन्द्र प्रमाणिक, 02.सागर प्रमाणिक, 03.दिवाकर प्रमाणिक सभी के पिता–स्व0 डोमन चन्द्र प्रमाणिक, ग्राम– जामकुदर, थाना– कसमार ,जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमिः–

मौजा	खाता न0	प्लॉट सं0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	उत्तर सीमा	द0 सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
बगियारी 100	163	1026	0.15 ए0	3.75 डी0	जलील असारी	सड़क	प्रभाकर प्रमाणिक	दुर्गा प्रशाद महतो
			कुल	3.75 डी0 (तीन दशमलव सात पांच डिसमिल जमीन मात्र)				

मो0 3,95,000/–(तीन लाख पनचान्बे हजार) रूपये या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनत्म भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता– शीतल देवी पति–श्री हेमन्त चन्द्र प्रमाणिक ग्राम–जामकुदर, थाना–कसमार ,जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती हैं।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती हैं। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एंव संशोधित।

Md 6-12-24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

Md 6-12-24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
बेरमो (तेनुघाट)।

Digitally signed by MUKESH MACHHUWA
Date: 2025.02.24 13:14:42 +05:30
Location: 10.93.6.142